{दूरभाष – 05278-245957}
{फैक्स – 05278-248123}

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/ 2020/ 1235 दिनांक : 29/06/2020

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (**दिनॉक 29–06–2020**) के कम में कुलपति महोदय के तत्सम्बंधी आदेश एवं कार्यपरिषद से अनुमति की प्रत्याशा में **रूदौली एजूकेशनल इंस्टीट्यूट सरायपीर भेलसर अयोध्या** को **स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड्0 पाठ्यक्रम में 50 सीट्स (01 यूनिट) की अतिरिक्त प्रवेश क्षमता (पूर्व संचालित सीट्स को छोड़कर) के साथ** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2020–21 से आगामी दो वर्षो हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. **उत्तर प्रदेश राज्यस्तरीय बी0एड्0 प्रवेश काउसिलिंग वर्ष–2020 प्रारम्भ होने के पूर्व मानकानुसार शिक्षकों (अनुमोदित) की उपलब्धता महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में उक्त सम्बद्धता आदेश में निर्धारित सीट्स राज्यस्तरीय प्रवेश काउसिलिंग से स्वतः पृथक कर दी जायेगी।**
2. संस्था/महाविद्यालय में इंगित समस्त कमियां (**यथा**–अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण एवं अनुबन्ध पत्र संलग्न नहीं है।) को एक माह में पूर्ण कर लेगा। अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षो में छात्रों को प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. सम्बद्धता आदेश पाठ्यकम के सम्बन्ध में महाविद्यालय को एन0सी0टी0ई0 से प्राप्त अनुमति के एन0सी0टी0ई0 नई दिल्ली से सत्यापन के अधीन होगा।
4. एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता एवं निरन्तरता महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्याः 2851/सत्तर–2–2003–15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
6. महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 के मान्यता पत्र (Recognition Letter) में अंकित शर्तो तथा एन0सी0टी0ई0 के मानको की निरन्तरता सुनिश्चित करता रहेगा। एन0सी0टी0ई0 के मान्यता पत्र में यदि किसी समय एन0सी0टी0ई0 द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा मान्यता वापस ली जाती है तो उस स्थिति में महाविद्यालय तत्काल विश्वविद्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगा।
7. जिन संस्थानों/ महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्वता/सम्बद्वता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तो का निराकरण करा लिया जायेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एंव क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्वता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
8. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्वता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
9. संस्था बी0एड्0 प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित एन0सी0टी0ई0, उ0प्र0 शासन के सुसंगत आदेश विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. महाविद्यालय समय–समय पर प्रवेश तथा पाठ्यकम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेंगा अन्यथा सम्बद्वता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
11. मानकानुसार शिक्षकों की निरंतरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्वता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय बी0एड्0 प्रवेश काउसिलिंग शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

भवदीय

उप–कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, **रूदौली एजूकेशनल इंस्टीट्यूट सरायपीर भेलसर अयोध्या।**
2. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग–इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।
4. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. पत्रावली।

उप–कुलसचिव